न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 80/2019 (2019/00203)

अपीलार्थीपक्ष

मोतीदान पुत्र स्व0 रामूदान, जाति रावल, निवासी ग्राम बिराई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ईश्वर दान पुत्र स्व0 श्री मुरारदान के कायम मुकाम

   1/1. गिरधारी सिंह स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी प्लॉट नं0 75, आदर्श नगर, गारियावास सेन्ट्रल एरिया, उदयपुर, राजस्थान।

   1/2. मान सिंह स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी ग्राम रायमी, पोस्ट गादोली वाया मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

   1/3. नारायण सिंह स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी प्लॉट नं0 3, श्रीनाथ नगर सेक्टर नं0 9, सवीना, उदयपुर, राजस्थान।

   1/4. मोहनसिंह पुत्र ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी प्लॉट नं0 35, 36 डी ब्लॉक, सेक्टर नं0 9, हिरण मगरी, सवीना, उदयपुर, राजस्थान।

   1/5. पृथ्वी सिंह स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी प्लॉट नं0 272 ए सेक्टर नं0 9, सवीना, उदयपुर, राजस्थान।

   1/6. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी प्लॉट नं0 14, श्रीनाथ नगर सेक्टर नं0 9, सवीना, उदयपुर, राजस्थान।

   1/7. चन्द्रबाई पत्नी स्व0 ईश्वर दान, जाति रावल, निवासी ग्राम रायमी पोस्ट गादोली वाया मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान।

2. हमीर दान पुत्र स्व0 मुरारदान के कायम मुकाम

   2/1. माल कंवर पुत्री स्व0 हमीरदान, जाति रावल, निवासी जिन्क कोलोनी, हाउसिंग कोलोनी के पास, उदयपुर, राजस्थान।

3. रूप दान पुत्र स्व0 मुरारदान के कायम मुकाम

   3/1. लाल दान पुत्र स्व0 रूपदान विषावत, जाति रावल, ग्राम बिराई, मोटल का बास कवियों की बिराई वाया तिंवरी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

   3/2. दाकू कंवर पत्नी स्व0 श्री रूपदान, जाति रावल, ग्राम बिराई, मोटल का बास कवियों की बिराई वाया तिंवरी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

4. चैनदान पुत्र स्व0 मूरारदान, निवासी प्लॉट नं0 25. सेक्टर नं0 3 हिरण मगरी बीएसएनएल ऑफिस के पास, उदयपुर, राजस्थान।

5. माधोसिंह उर्फ माधुदान पुत्र स्व0 मूरारदान विषावत, जाति रावल, निवासी ग्राम बिराई, मोटल का बास कवियों की बिराई वाया तिंवरी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 524 जो उप तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 30.06.1992 को स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री आर0 के0 रावल (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री ए0 के0 आचार्य, श्वेता पुरोहित व लीना शर्मा (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 3 / 1, 4 तथा 5)।
3. शेष रेस्पोडेन्टपक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :— 17.12.2021

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 524 जो उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 30.06.1992 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिराई हाल ग्राम राजावंध पटवार हल्का बिराई, भू अभिलेख निरीक्षक बालेसर के खसरा नं0 130 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नं0 483 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा एवं वर्तमान हाल ग्राम मोटलजी का बास बिराई के खेत खसरा संख्या 345 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं0 344 रकबा 3 बिस्वा भूमि सेटलमेंट से खातेदार रामूदान पुत्र स्व0 मूरारदान के नाम दर्ज थी। दिनांक 17.06.1992 को समस्या समाधान शिविर ग्राम बिराई में आयोजित किया गया। इसमें रामूदान की मिथ्या सहमति जाहिर करने का कथन कर रेस्पो0 संख्या 02 हमीरदान ने अपने स्वयं के नाम के साथ—साथ अन्य रेस्पोडेन्ट भाईयों ईश्वरदान वगैरा के नाम व अपीलान्ट के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया, इससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 3 / 1, 4 तथा 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 आचार्य ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। शेष रेस्पोडेन्ट पक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। तहसीलदार बालेसर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 06.12.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी की गैर हाजरी में पारित किया गया, जिसकी सुनवाई का भी कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। रेस्स्पोन्ट ने बताया कि हाजा में राजस्व अपील संख्या 38 / 2018 बअनवान ईश्वरदान के कायम बनाम मोतीदान वगैरा पेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

जिसके नोटिस अपीलार्थी मोतीदान को प्राप्त हुए तब अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2019 को न्यायालय के समक्ष पेशी पर उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तब उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई लेकिन रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अपील प्रार्थना–पत्र विड्रोल का दिनांक 07.08.2019 को पेश किया जिसके पश्चात् दिनांक 20.08.2019 को प्रतिवादी के विड्रोल प्रार्थना–पत्र के आधार पर खारिज कर दी गई। जिससे अपील संख्या 38/2018 का गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया जा सका। अपीलार्थी ने युक्तियुक्त समय में पुनः नई अपील पेश कर दी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि शिविर में प्रभारी अधिकारी आदेश क्रमांक/राजस्व 92/360 दिनांक 26.06.1992 की पालना के तहत एवं रिकॉर्ड खातेदार स्व0 रामूदान के मात्र मिथ्या सहमति जाहिर करने के कथन के आधार पर आदेश देते हुए आलौच्य नामान्तरकरण 524 दिनांक 30.06.1992 को स्वीकृत किया गया, जो अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि अपीलान्ट के पिता का नाम मुखिया के तौर पर दर्ज हुआ बल्कि संवत् 2008 सेटलमेंट के पूर्व से अपीलार्थी के पिता रामूदान बतौर खातेदार रहे तथा रेस्पो0 के पिता व अपीलान्ट के दादा स्वयं मुरारदान की राजस्व सेटलमेन्ट से पूर्व करीब 8 वर्ष पहले मृत्यु हो गई तथा स्व0 रामूदान का स्वयं अपनी काश्त के आधार पर रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ जबकि इसी ग्राम के अन्य खसरान् में संयुक्त खातेदारी जिसमें अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज है। जो संयुक्त खातेदारी की जमीन है। रेस्पोडेन्ट की मंशा अपीलान्ट के स्व0 पिता की खातेदारी काश्त भूमि में बदनियति से दर्ज म्यूटेशन की आड में भूमि पर कब्जा करने की है। रामूदान ने अपने जीवनकाल में कभी भूमि में नाम दर्ज करने व शुद्धिकरण हेतु कोई आवेदन व सहमति नहीं दी मिथ्या सहमति के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया गया जो अवैध व विधि विरूद्ध है। भू अभिलेख नियमावली के नियम 119–120–121 के विपरीत व सम्पति अन्तरण अधिनियम के धारा 122 के तहत सम्पति का हस्तान्तरण किया जा सकता है। जिसमें भूमि क हस्तान्तरण मौखिक सहमति से खातेदारी अधिकार दिया जाना अवैध व शून्य है। इसके समर्थन में अपीलार्थी अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये।

1. सूरज नारायण अन्य बनाम छोट्या RRD 2001 PAGE NO 24
2- गुल्लाराम अन्य बनाम गोपाल व अन्य RRD 1993 PAGE NO 24
3- RRD 1994 PAGE NO 606
4. श्रीमति माजी लक्ष्मी कुमारी बनाम आन्नद सिंह RRD 1974 PAGE NO 549
5- कल्याण सिंह बनाम ग्राम पंचायत बिसार RRD 1988 PAGE NO 685
6- RBJ 1996 (3) PAGE 3
7. लीगल प्रतिनिधि कल्याण बनाम सिंह व अन्य RRD 1995 PAGE NO 772

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 4 तथा 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री ए0 के0 आचार्य ने अपील का लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि विवादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के समय मुरारदान का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र रामूदान होने से मुरारदान के उत्तराधिकार की जमीन रामूदान के नाम दर्ज की गई। इसके पश्चात् वर्ष 1992 में उप तहसीलदार बालेसर में समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया इसमें श्री रामूदान पुत्र स्व0 मुरारदान ने लिखित में ग्राम बिराई के खाता संख्या 265 में अपने संगे भाईयों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु सहमति जाहिर कि जिस पर प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) समस्या समाधान शिविर उप तहसील बालेसर के आदेश क्रमांक राजस्व/92/360 दिनांक 26.6.1992 की अनुपालना में रामूदान के साथ—साथ मोतीदान, ईश्वरदान, हमीरदान, रूपदान, मगदान, चैनदान, माधूदान पिता मुरारदान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रभारी समस्या समाधान शिविर के समक्ष भी रामूदान ने अपने सगे भाईयों के अलावा अपने पुत्र मोतीदान का नाम भी सहमति जाहिर करने पर अंकित किया गया। इस आदेश में मोतीदान का नाम गलत अंकित किया गया। रामूदान ने पूर्ण लिखित सहमति से ही अपने सगे भाईयों के नाम उत्तराधिकार से अर्जित भूमि में दर्ज कराये जो विधि सम्मत होकर न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपने जवाब में आगे बतलाया कि अपीलार्थी रामूदान का पुत्र तथा मुरारदान का पौत्र है। सेटलमेंट से पूर्व ही मुरारदान का स्वर्गवास होने से बडे पुत्र के नाते रामूदान के नाम पैतृक उत्तराधिकार से उपरोक्त खसरान् जमीन रामूदान के नाम दर्ज हुई । अतः रामूदान के साथ—साथ मोतीदान, ईश्वरदान, हमीरदान, रूपदान, मगदान, चैनदान, माधूदान भी मुरारदान के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना—पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार करते हुए अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझा गया। यह तथ्य निर्विवादित है कि समस्या समाधान शिविर के दौरान प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बालेसर के आदेश क्रमांक राजस्व/92/360 दिनांक 26.6.1992 की अनुपालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण 524 दिनांक 30.06.1992 को उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया। अर्थात् अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बालेसर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में जब तक प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) का आदेश अस्तित्व में है, तब तक उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। समस्या समाधान शिविर के प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

समस्या समाधान शिविर प्रभारी अधिकारी के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। परिणामस्वरूप यह अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested